

11.10.17

अभियुक्त गोपाल तिवारी मुकदमा सं 3259/12 धारा 323,325,504,324 भा द सं ,थाना घाटमपुर कानपुर नगर के अपराध मे गैर जमानतीय वारण्ट के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा मे निरुद्ध है, की ओर से वारण्ट रिकाल प्रार्थनापत्र दिया गया है।

सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त गैर जमानतीय वारण्ट के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा मे निरुद्ध है। ऐसे मे अभियुक्त द्वारा प्रार्थनापत्र मे कहे गये कथनो पर अविश्वास नही किया जा सकता। अतः अभियुक्त के विरुद्ध जारी गैर जमानतीय वारण्ट उसके द्वारा बीस हजार रुपये की पी वी निष्पादित करने पर निरस्त किया जाता है।

न्यायिक मजि0,घाटमपुर,
कानपुर देहात।